SHRIMATI MARGARET ALVA: I would like to ask the honourable Member whether he is putting the question to me or the other lady who has not yet taken over.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: My question is whether the Government of Inida is aware of the Andhra Pradesh Government's decision to reserve 30 per cent seats for women and what view the Government of India is taking on that and whether they are following suit.

SHRIMATI MARGARET ALVA We welcome any measures taken by anybody anywhere in the interest of women.

DR. BAPU KALDATE: Except you, except the Centray Government: ... (*Interruptions*)...

Admissions to public School in Delhi

*245. SHRI SURESH PACHOURI:†
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item "The price of public schools' which appeared in the Patriot of the 18th April, 1988 to the effect that parents and guardians have to pay huge sums to get their children admitted in Nursery and other classes in so called public schools, which are mushrooming in the capital and other metropolitan towns;

(b) if so, whether there is no regulation or Government control over these public schools; and

(c) what steps are being contemplated to curb this menace which besides putting updue burden on the guardians of children generates black money?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) School education is primarily looked after by the State/UT governments. The powers of the Delhi Administration in this behalf are enumerated in the Delhi School Education Act, 1973. The Delhi Administration is empowered, in respect of the recognised schools to take action when provisions of the Act are violated. However, it has no regulatory power in regard to the unrecognised schools.

श्री सुरेश पचौरी : मेडम, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि पब्लिक स्कूल राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा देखे जाते हैं। बहुत देखने में यह आया है कि पब्लिक स्कूलों में बड़े पैमाने पर डोनेशन्स लिए जाते हैं और दूसरे भी चार्जेज लिए जाते हैं। इसके विपरीत वहां पर टीचर्स को पर्याप्त सेलरी और दूसरी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देशित करेगी कि पब्लिक स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ को प्रेस्काइब स्केल के तहत सेलरी दी जाय ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न पब्लिक स्कूलों के बारे में नहीं है। पब्लिक स्कूल परिभाषा के अनुसार वह होता है जो इंडियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस में एक सदस्य हो। माननीय सदस्य ने जिन स्कूलों का इसमें जिक्र किया है, उनमें अधिकांश इसके सदस्य नहीं हैं। इसलिए सच्चे मायनों में तो यह पब्लिक स्कूलों का प्रश्न नहीं है। लेकिन पब्लिक स्कूल आम तौर पर आजकल की पारलेन्स में उसको कहते हैं जो या तो रिकागनाइज्ड हैं या अनरिकागनाइज्ड हैं और जहां पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। अनरिकागनाइज्ड स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल कहने लगे हैं,

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Pachouri.

लेकिन वह सही नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूलों के दो वर्गीकरण हैं। एक रिकागनाइज्ड हैं और दूसरे अनरिकागनाइज्ड हैं अनरिकागनाइज्ड हमारे अधीन नहीं हैं, इसलिए उन पर पाबन्दी लगाने का कोई सवाल नहीं है। रिकागनाइज्ड में दो केटेगरीज हैं। एक तो वे स्कूल हैं जिनको ग्रान्ट देते हैं, जिनको सरकारी अनुदान मिलता है। दूसरे वे हैं जिनको अनुदान नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये स्कूल तीन वर्गों में आते हैं। इस स्कूलों के संबंध में हमारा जो अधिकार है वह स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के अधिनियमों में आता है। दिल्ली का जो स्कूल शिक्षा अधिनियम है उसमें लिखा है कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि कहां पर कमियां हैं और कहां पर उनको कसने की आवश्यकता है। मैंने यह जानने की कोशिश की है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आज के इस कानून को और ज्यादा कसने के लिए कुछ संशोधन लाना चाहता है और वह अभी उनके विचाराधीन है।

SHRI SURESH PACHAURI: Madam I would like to know the percentage of public school children in the capital.

Secondly, Madam, public schools are mushrooming in every corner of the capital without having even proper buildings, equipment, lab and other facilities for the children.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अजमेर तथा सवाई माधोपुर में हवाई अड्डे

*234. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर व सवाई माधोपुर के धार्मिक व पर्यटन महत्व को देखते हुए सरकार इन स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) और (ख) : हाल ही में सवाई माधोपुर को विमान सेवा से जोड़ने के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक अजमेर पर एक एयरपोर्ट के निर्माण का संबंध है, काफी संख्या में स्थानों का चयन किया गया तथा विभिन्न कारणों से इन्हें रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार से अभी हाल ही में प्रस्तावित स्थल के संबंध में ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

Electronic equipment for international airports

*246. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the international airports in the country are fully equipped with electronic equipment to facilitate take off and landing of all types of aircraft; and

(b) whether it is a fact that Boeing-747 as well as Air Bus aircraft are not able to use the various devices due to lack of corresponding equipment at these airports?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTI LAL VORA): (a) Yes, Sir.

(b) Ground equipment avilable at all international airports permit use of avoinic equipment in Boeing-747 as well as the Airbus aircraft and flight safety is never compromised. There is, however, always a continuing need to modernise and further augment these facilities at airports.